UPLK010082272026

न्यायालय ADJ-SPL. JUDGE POCSO COURT, Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (KUMAR PRASHANT), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP06296**

Bail Application No.–4055/2026

अब्दुल अयान उर्फ अयान, आयु 20 वर्ष, पुत्र मरहूम अब्दुल फरीद, निवासी—आर०एस०आई०–1/22, एल०डी०ए० कालोनी, टिकैतराय तालाब, थाना – बाजारखाला, जनपद – लखनऊ (मूल निवासी –काजीपुरा दक्षिणी, जनपद – बहराइच)।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

1. **उ०प्र० राज्य**
2. **वादी**
3. **चाईल्ड वेलफेयर कमेटी, लखनऊ।**
4. **जिला विधिक प्राधिकरण कमेटी,लखनऊ**

..... अभियोगी

मु0 अ 0 सं0– 109/2026
अं0 धारा– 65(1),87, 137(2) बी०एन०एस०
व 3/4 पाक्सो एक्ट
थाना– गाजीपुर, लखनऊ।

दिनांक 17.07.2026

1. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त अब्दुल अयान उर्फ अयान की ओर से मु०अ०सं०– 109/2026, अं0 धारा– 65(1),87, 137(2) बी०एन०एस० व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना– गाजीपुर, जिला– लखनऊ में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दाखिल किया गया है।

2. अभियुक्त दिनांक– 01.04.2026 से जेल में निरूद्ध है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र अब्दुल अनस के शपथ पत्र से समर्थित है, जो अभियुक्त का सगा भाई है। शपथ पत्र के अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय में न तो लम्बित है, न ही निरस्त किया गया है।

4. अभियोजन कथन के अनुसार वादिनी मुकदमा मुन्नी चौहान ने थाना प्रभारी गाजीपुर को सम्बोधित तहरीर में निवेदन किया है कि प्रार्थिनी मुन्नी चौहान पत्नी उमेश चन्द्र चौहान निवासी 1125/4 A इन्दिरा नगर थाना गाजीपुर लखनऊ की रहने वाली है। प्रार्थिनी की पुत्री उम्र 16 वर्ष को आयान पुत्र अज्ञात (मुस्लिम), निवासी एल डी ए कालोनी राजाजीपुरम लखनऊ बहला फुसला कर भगा ले गया है। अतः एफ० आई०आर० दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

5. उक्त अभियोजन कथानक के आधार पर जमानत के पक्ष में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त की जानकारी के अनुसार पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा – 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं धारा – 183 भारतीय

नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई बयान नहीं दिया गया है। यहाँ तक कि उक्त बयानों में पीड़िता द्वारा स्वयं बहराइच जाना स्वीकार किया गया है। अभियोजन द्वारा तथाकथित पीड़िता की आयु 16 वर्ष अंकित की गई है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त की जानकारी के अनुसार उसकी आयु लगभग 19 वर्ष है। चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन कथानक में स्पष्ट विरोधाभास है। प्रार्थी/अभि० कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है, प्रार्थी/अभि० की वर्तमान समय में उम्र मात्र 20 वर्ष की है तथा प्रार्थी/अभि० का कोई अपराधिक इतिहास नही है। न्यायहित में प्रार्थी/अभि० की जमानत हेतु न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा जो भी समुचित प्रतिभूति निर्धारित की जायेगी प्रार्थी/अभि० अदा करने को तैयार है। प्रार्थी/अभि० जमानत पर रिहा हो जाने के बाद जमानत का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नही करेगा तथा न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष आपराधिक अभियोग उपरोक्त के विचारण में उपस्थित होकर पूर्ण सहयोग करेगा। अतः दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त करने की कृपा की जाये।

6. जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने कहा है कि प्रकरण अत्यंत गंभीर है। अभियुक्त पर 16 वर्षीय नाबालिग पीड़िता को बहला फुसला कर भगा ले जाने गंभीर आरोप है। अभियुक्त के फरार होने की संभावना है। अत: जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

7. जमानत आवेदन पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट, सी.डब्लू.सी., डी.एल.एस.ए. एवं वादीपक्ष को सुना तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में स्पष्ट है कि पीड़िता ने अपने 180 बीएनएसएस के बयान में कहा है कि मैं पिछले 3 साल से अयान खान नाम के लाडके को जानती हूँ और आपस बातचीत भी होती थी मैंने अपनी मम्मी से बताया कि मुझे अयान पसन्द है और मै उससे शादी करना चाहती हूँ मम्मी मेरी बात नही मानी व बहुत ज्यादा गुस्सा होनी लागी व मुझे मारने पीटने लगी फिर मैं 24/02/2026 को बिना मम्मी को बताये अकेले बहराइच चली गई उसके बाद अयान मुझे वहा मिला हमने किराये का कमरा लिया दो दिन बाद मम्मी से फोन पर बात हुई तो मम्मी ने कहा जो तुम्हे करना है करो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है मै तुम्हे बेदखल कर दूंगी फिर अयान और मैंने 06/03/2026 को कोर्ट मैरेज कर ली व एक दूसरे के साथ पति पत्नि की तरह रहने लगे फिर शादी करने के कुछ समय बाद हम लोग लखनऊ वापस आ गये और यहा किराये पर रूम लेकर रहने लगे। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नही हुई सब कुछ मेरी सहमती से हुआ है। हम दोनो में शारीरिक सम्बन्ध बने है। हम दोनों की शादी (कोर्ट मैरिज) हो चुकी है। शादी किसी दबाव में नही की हैं।

9. पीड़िता ने अपने 183 बीएनएसएस के बयान में कहा है कि मेरी उम्र 15 वर्ष है। मै अयान खान को तीन साल से जानती हूँ, मै उससे प्यार करती हूँ मैने मम्मी को बताया था तो मम्मी ने मना कर दिया और मुझे बहुत मारा मेरे कान–नाक से खून निकल गया तो मै अपने आप बहराइच चली गई। फिर वहां अयान के साथ रुम लेकर रहने लगी। 2 दिन बाद जब मैने मम्मी को फोन किया तो मम्मी ने कहा तुम मरो या जिओ कोई मतलब नही है मै तुमको बेदखल कर दूंगी। दिनांक– 6/3/26 को हम दोनो शादी कर ली हम दोनो पति–पत्नी की तरह रहने लगे थे। फिर कुछ दिन बाद हम लखनऊ वापस आ गए और किराये का रुम लेकर रहने लगे। मै अयान के साथ रहना चाहती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं।

10. अभियोजन कथानक के अनुसार विद्यालय अभिलेख के आधार पर पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक–22.10.2011 है जिसके आधार पर पीड़िता की उम्र लगभग 15 वर्ष थी।

11. उक्त समग्र वर्णित परिस्थितियों में पीड़िता की आयु एवं उसके साथ कारित अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत हेतु दर्शित आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार न्याय विचार में जमानत आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

12. अभियुक्त अब्दुल अयान उर्फ अयान की ओर से मु०अ०सं०– 109/2026, अं0 धारा– 65(1),87, 137(2) बी०एन०एस० व 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना– गाजीपुर, लखनऊ में दाखिल जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

दिनांक 17.07.2026

(कुमार प्रशान्त)
विशेष,न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, लखनऊ।
(UP06296)

Digitally signed by Kumar Prashant
Date: 2026.07.17 16:47:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court